न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 30/2022

1. हाकम पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। ——प्रार्थी

बनाम्

1. भहावीर पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आर.पी. डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. मोहरसिंह पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
4. भारवती पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र अधिवक्ता प्रार्थी
श्री करनैलसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 28/5/25

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं0 4 आरपी के खाता सं0 127/125 के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 19/2/.012, 20/2/.013, 21/.253 कुल .278 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चकनं0 4 आरपी के खाता सं0 85/80 के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 3/3/.013, 8/3/.013, 13/1/.013, 18/1/.013, 19/1/.241, 22, 23/.506 है0 कुल 1.039 है0 तथा अप्रार्थी सं0 2 के नाम से इसी चक के खाता सं0 79/77 में प0न0 176/357 मु0 28 किलानं0 7,8,9,12, 13,14,15,16,17,24,25, कुल 2.809 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण की भूमि चक नं0 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25, के दक्षिणी दि ा मे पूर्व से पि चम चालु रास्ता से होकर अपनी भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 21 मे प्रवे ा करता चला आ रहा है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने, सिचाई करने तथा जुताई करने में काफी परेशानी होती है।प्रार्थी अपनी भूमि में अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे दर्ज भूमि में दर्ज उक्त चालु रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण की भूमि चक चक

Scanned with CamScanner

नं0 4 आर.पी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25 प्रत्येक किला में .013 है0 चौडा रास्ता दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम रास्ता को मन्जूर करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करवाना चाहता है। रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को प्रार्थी उतनी कृषि भूमि या डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि देने को तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई दफा निवेदन किया कि चालू रास्ता को मन्जूर करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करवा देवें तो अप्रार्थीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार राजस्व से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की भूमि चक नं0 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25, के दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम चालु रास्ता से होकर अपनी भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 21 मे प्रवेश करता चला आ रहा है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने, सिचाई करने तथा जुताई करने में काफी परेशानी होती है।प्रार्थी अपनी भूमि में अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर प्रवेश करता है।उक्त रास्ता मौका पर चालू है।अप्रार्थी के विरूद्व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा माननीय न्यायालय सहायक कलैक्टर, टिब्बी में बअनवनी महावीर आदि बनाम् गोहर सिह आदि रास्ता स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 20.01.2022 को निर्णित करते हुए मुझ अप्रार्थी की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 4/1/.228, 5/1/.202 है0 प्रत्येक में .013 है0 चौड़ा रास्ता उतरी दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम दिशा में तथा महावीर की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 3/3/.013, 8/3/.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया था, जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है, लेकिन रास्ता मौका पर चालु नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में दर्ज आराजी के लिए उपरोक्त रास्ता स्वीकृत करवाया गया था। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के लिए चक नं0 4 आर.पी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25 प्रत्येक किला में .013 है0 चौडा रास्ता दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम मौका पर चालु है व पूर्व में स्वीकृत करवाये गये रास्ता की अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण को कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुझ अप्रार्थी की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 4/1/.228, 5/1/.202 है0 प्रत्येक में .013 है0 चौडा रास्ता उतरी दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम दिशा में तथा महावीर की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 3/3/.013, 8/3/.013 है0 रास्ता की प्रविष्टी को निरस्त कर उक्त भूमि खातेदारी दर्ज की जाकर चक नं0 4 आर.पी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25 प्रत्येक किला में .013 है0 चौडा रास्ता दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम की

Scanned with CamScanner

और रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हमें को कोई उज्र व एतराज नही है। जबाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किये गये। अप्रार्थीया सं0 4 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त कृषि भूमि किलानं0 24 व 25 मुझ प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए प्रार्थीया उक्त प्रकरण में अहम सबूत व जबाबदेही रखती है। प्रार्थीया को उक्त प्रकरण में बतौर अप्रार्थीया पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है। जमाबन्दी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। मुझ प्रार्थीया को बिना पक्षकार बनाये मुझ प्रार्थीया की भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीया को नाहक ही अन्य मुकदमों में उलझना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थीया को उक्त प्रकरण में बतौर अप्रार्थीया सं0 4 के रुप मे प्रतिस्थापित किया जावे। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का कोई विरोध नही होने के कारण अप्रार्थीया सं0 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया सं0 4 का नाम शीर्षक में अंकित किया गया। अप्रार्थीया सं0 4 द्वारा अपना जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की भूमि चक नं0 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23, 24,25, के दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम चालु रास्ता से होकर अपनी भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 21 मे प्रवेश करता चला आ रहा है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिसकी वजह से प्रार्थी को अपनी आराजी काश्त करने, सिचाई करने तथा जुताई करने में काफी परेशानी होती है।प्रार्थी अपनी भूमि में अप्रार्थीगण की भूमि मे से होकर प्रवेश करता है।उक्त रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे दर्ज भूमि में दर्ज उक्त चालु रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है। इसलिए हम अप्रार्थीगण की भूमि चक नं0 4 आर.पी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25 प्रत्येक किला में .013 है0 चौडा रास्ता दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम रास्ता को मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा माननीय न्यायालय सहायक कलैक्टर, टिब्बी में बअनवनी महावीर आदि बनाम् मोहर सिह आदि रास्ता स्वीकृति बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 20.01.2022 को निर्णित करते हुए अप्रार्थी की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 4/1/.228, 5/1/.202 है0 प्रत्येक में .013 है0 चौडा रास्ता उतरी दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम दिशा में तथा महावीर की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 3/3/.013, 8/3/.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया गया था, जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है, लेकिन रास्ता मौका पर चालु नही है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 मे दर्ज आराजी के लिए उपरोक्त रास्ता स्वीकृत करवाया गया था। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के लिए चक नं0 4 आर.पी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25 प्रत्येक किला में .013 है0

Scanned with CamScanner

चौडा रास्ता दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम मौका पर चालु है व पूर्व में स्वीकृत करवाये गये रास्ता की अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण को कोई आवश्यकता नही है। इसलिए मोहरसिह की चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 4/4/.013, 5/4/.013 है0 गै0मु0 रास्ता निरस्त कर अप्रार्थीया सं0 4 पारवती के नाम से दर्ज की जावे तथा महावीर की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 3/3/.013, 8/3/.013 है0 रास्ता की प्रविष्टी को निरस्त उक्त भूमि खातेदारी दर्ज की जाकर चक नं0 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25 प्रत्येक किला में .013 है0 चौडा रास्ता दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज व एतराज नही है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहमति का जवाब प्रार्थनापत्र व पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दीयों व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक नं0 4 आर.पी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 22,23,24,25 प्रत्येक किला में .013 है0 चौडा रास्ता दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करने तथा अप्रार्थी सं0 2 मोहरसिह की चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 4/4/.013, 5/4/.013 है0 गै0मु0 रास्ता की प्रविष्टी को निरस्त कर अप्रार्थीया सं0 4 पारवती के नाम तथा अप्रार्थी सं0 1 महावीर की भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/358 मु0 35 किलानं0 3/3/.013, 8/3/.013 है0 रास्ता की प्रविष्टी को निरस्त कर अप्रार्थी सं0 1 महावीर के नाम से खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एंवम्
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

Scanned with CamScanner